



कर्मचारी राज्य बीमा निगम

पौल डॉडो एं रेप्रोजेक्ट इंडिया फिल्म्स कम्प्लेक्स, राजेन्द्र प्लास इंडिल्ली 100084, दिल्ली

संख्या-24814-101 सभा अधिनियम के अनुसार इस दिन विधायिक दिनांक 14.03.1979

संवादमें संघीयता के लिए मानी गई है। इस दिन विधायिक दिनांक 14.03.1979

MSO SECURITY PVT. LTD. हिन्दी में लिखा गया है ताकि इसकी विशेषता सेवाओं के लिए उपयोगी हो।

4-206, SAVATRI NAGAR, दिल्ली 110 017.

मित्र श्री विधायिक दिनांक के अनुसार इस दिन विधायिक दिनांक है।

विधायिक दिनांक: कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 (यथासंशोधित) की धारा 2(12)/विधायिक दिनांक 14.03.1979 के अनुसार संघीयता के लिए लिखा गया है।

विधायिक दिनांक: कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के अनुसार संघीयता के लिए लिखा गया है।

विधायिक दिनांक: कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के अनुसार संघीयता के लिए लिखा गया है।

विधायिक दिनांक: कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के अनुसार संघीयता के लिए लिखा गया है।

विधायिक दिनांक: कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के अनुसार संघीयता के लिए लिखा गया है।

विधायिक दिनांक: कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के अनुसार संघीयता के लिए लिखा गया है।

विधायिक दिनांक: कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के अनुसार संघीयता के लिए लिखा गया है।

विधायिक दिनांक: कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के अनुसार संघीयता के लिए लिखा गया है।

विधायिक दिनांक: कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के अनुसार संघीयता के लिए लिखा गया है।

विधायिक दिनांक: कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के अनुसार संघीयता के लिए लिखा गया है।

विधायिक दिनांक: कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के अनुसार संघीयता के लिए लिखा गया है।

विधायिक दिनांक: कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के अनुसार संघीयता के लिए लिखा गया है।

विधायिक दिनांक: कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के अनुसार संघीयता के लिए लिखा गया है।

विधायिक दिनांक: कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के अनुसार संघीयता के लिए लिखा गया है।

विधायिक दिनांक: कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के अनुसार संघीयता के लिए लिखा गया है।

विधायिक दिनांक: कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के अनुसार संघीयता के लिए लिखा गया है।

आपके द्वारा आपकी फैक्टरी/स्थापना के संबंध में दिए गए ब्योरों सहित दिनांक 17-04-95 को बीमा निरीक्षक स्थानीय कार्यालय प्रबंधक द्वारा किए गए निरीक्षण के आधार पर आपकी फैक्टरी/स्थापना तारीख 01-04-95 से अंतिम / अनन्ति रूप से अधिनियम की धारा 2 (12) व 1 (5) के क्षेत्र में आती है लेकिन यदि बाद के तथ्यों से यह स्पष्ट हो जाता है कि आपकी फैक्टरी/स्थापना उपरिलिखित तारीख से पहले की किसी तारीख से उपर्युक्त वर्णित तारीख से शामिल की जानी थी तो आप ऐसी पहले की तारीख से अधिनियम के उपबंधों का पालन करने के लिए बाध्य होंगे।

आपसे अनुरोध है कि अपनी फैक्टरी/स्थापना को अधिनियम के अधीन शामिल किये जाने की तारीख से अपने कर्मचारियों का पंजीकरण करवाने, औषधणा पत्र भरने तथा अंशदान का भुगतान करने रिकार्ड के अनुरक्षण आदि के संबंध में शीघ्र कार्रवाई करें। सुविधा की दृष्टि से आपकी स्थापना को कोड सं 11-24814-101 आवंटित की गयी है। इस कार्यालय को भेजे गए सभी पत्रादि में तथा फार्मों में निर्दिष्ट स्थानों पर इस कोड सं ० का प्रयोग करें। Okhla पर स्थित स्थानीय कार्यालय को आपके कर्मचारियों के पंजीकरण के संबंध में आपको आवश्यक सहायता देने के अनुदेश दे दिए गए हैं। यदि कोई कठिनाई हो तो आप कृपया उपर्युक्त स्थानीय कार्यालय के प्रबंधक से संपर्क करें जो भासले में आपकी अपेक्षित सहायता करेगा। निवेदन है कि आप अपनी फैक्टरी/स्थापना में राज्य बीमा औषधालयों की संलग्न सूची का प्रचार करें ताकि आपके कर्मचारी अपने राज्य बीमा औषधालयों का चुनाव कर सकें। सभी अपेक्षित फार्म आदि उपर्युक्त स्थानीय कार्यालय से प्राप्त करे, उक्त कार्यालय के साथ आपके सभी कर्मचारी संबंध किए जाएंगे।

कर्मचारी राज्य बीमा अंशदान स्वीकार करने वाली बैंक की शाखाओं की सूची संलग्न है। आप कृपया अपनी सुविधा के अनुसार किसी एक बैंक का चुनाव करके और उसकी सूचना इस कार्यालय तथा भारतीय स्टेट बैंक की संबंधित शाखा को भेज दें। आप केवल इसी शाखा में कर्मचारी राज्य बीमा राशि का भुगतान करें। यदि पत्र की प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई तो आपके द्वारा जिस शाखा में राशि जमा कराई जाएगी उसी शाखा को आपकी फैक्टरी/स्थापना की नामजद शाखा मान लिया जाएगा।

निगम कर्मचारी आपके कार्य को निपटाने में तथा कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 की वाध्यताओं का पालन करने में आपकी सभी आवश्यक हर सम्भव सहायता करेंगे तथा मुझे विश्वास है कि आप अपनी ओर से कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के उपबंधों तथा विनियमों का तत्परता से और समय पर पालन करेंगे। आपसे यह भी अनुरोध है कि सभी प्रक्रार से संलग्न फार्म 01 विधिवत् भरकर इस कार्यालय को तत्काल भेजने की कृपा करें। Please contact R.O./L.O. for guidance.

भवदीय,

संलग्न:-

कृते क्षेत्रीय निदेशक

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को प्रेषित

Okhla

1. स्थानीय कार्यालय
2. बीमा शाखा क्षेत्रीय कार्यालय दिल्ली
3. हितलाभ शाखा 4 क्षेत्रीय कार्यालय दिल्ली
4. बीमा निरीक्षक श्री/श्रीमती
5. गार्ड फाइल

प्रभाग सं 27

इस निवेदन के साथ प्रेषित किया जाता है कि वह इस फैक्टरी की अन्तिम व्याप्ति की तारीख को तथारीघ्र निर्धारित कराने की कृपा करें।